दिल्लीa विकास प्राधिकरण
(योजना समन्ववय इकाई)

सार्वजनिक सूचना

दिल्लीन विकास प्राधिकरण पैनल बनाने हेतु ऐसे इच्छु क नगर योजना पेशेवरों/योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से रूचि की अभिव्यरक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करता है, जिनके पास शहरी क्षेत्रीय योजना, नगर योजना, आधारिक संरचना एवं बड़े भूखण्डों) के नियोजित विकास के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हो। आवेदक/एजेंसी/फर्म के पास इस प्रकार की प्रकृति/पैमाने की परियोजना का संचालन करने के लिए आवश्यसक आधारिक संरचनात्ममक सुविधाएँ, प्रबंधन संबंधी कौशल और अपेक्षित कर्मचारी होने चाहिए। अपेक्षित प्रबंधन संरचना , व्याधवसायिक अनुभव एवं विशेषज्ञता विभिन्न् क्षेत्रों जैसे राजस्वि योजना आदि में क्षमता/सामर्थ्य आदि का विवरण आवेदन-पत्र के निर्धारित प्ररूप में मुहरबंद लिफाफे में 25.2.2019 तक अथवा उससे पहले आयुक्तन (योजना) 5 वाँ तल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टे)ट नई दिल्लीि-110002 को भेजा जाना चाहिए। विवरण डाउनलोड करने हेतु दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर उपलब्धि है।

फाइल सं. एफ. 11(30)2019/प्लाबनिंग/कोर्डि

दिनांक:

आयुक्तं (योजना)

दिल्लीं विकास प्राधिकरण

नगर योजना पेशेवरों/परामर्शी योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से

रूचि की अभिव्यवक्ति आमंत्रित करने की सूचना

1. **उद्देश्य:**

दिल्लीीजो भारत के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का केन्द्रे है और प्राचीन मूल्यों एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है तथा सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी है , विश्वा के प्रमुख शहरों के बीच बढ़ती हुई प्रतिष्ठार प्राप्तड कर रही है।

दिल्लीक को एक वैश्विक महानगर और एक विश्व स्तहरीय शहर बनाने का लक्ष्यद्द है जहाँ सभी व्येक्ति एक अच्छेह वातावरण में बेहतर जीवन-स्तकर के साथ उत्पायदक कार्यों में व्यजस्तo रहेंगे।

दिल्लीय विकास प्राधिकरण को दिल्लीा मुख्य योजना-2021 के अनुसार भूमि नीति के माध्यीम से जोन जे, के-1, एल, एन एवं पी (I एवं II) के शहरीकरण योग्यं क्षेत्र में आने वाली भूमि के शहरीकरण का उत्तिरदायित्व सौंपा गया है। भूमि नीति को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा का.आ. 5220 (ई) दिनांक 11.11.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस नीति के प्रचालन हेतु विनियमों को दिल्लीी विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली1 विकास अधिनियम-1957 की धारा 57 के अंतर्गत का.आ. 5384 (ई) दिनांक 24.10.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है। भूमि नीति के अतिरिक्तग दिल्लीि के अन्य) क्षेत्रों में बड़े भूखण्डअ खाली पड़े हुए हैं जिनके लिए व्याकपक योजना की आवश्यतकता है। दि.मु.यो.-2021 में पुनर्विकास के रूप में विद्यमान शहरी क्षेत्रों की योजना और सघनता वाले आवासीय क्षेत्रों हेतु नीति , निजी भूमि नीति, ट्रांजिट ओरिएण्टिड डिवेलपमेंट पॉलिसी जैसी अन्यत नीतियों के क्रियान्वेयन पर विचार किया गया है।

प्रस्तािवित है कि उपर्युक्तप कार्य को ऐसी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा करवाया जा सकता है जिनके पास इस प्रकार के कार्यों को करने की विशेषज्ञता हो।

2. **विचारार्थ विषय:**

(i) दिल्लीव के विकास के लिए नए और आधुनिक विचारों को शामिल करने हेतु दिल्लीक विकास प्राधिकरण पैनल बनाने के लिए ऐसे इच्छुनक नगर योजना पेशेवरों/परामर्शी योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से रूचि की अभिव्यरक्ति आमंत्रित करता है ,

जिनके पास शहरी क्षेत्रीय योजना , नगर योजना, आधारिक संरचना और बड़े भूखण्डों ा के नियोजित विकास के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हो।

(ii) रूचि की अभिव्यवक्ति मूल्यां कन के अधीन होगी और केवल उन्हें ही सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके दस्तारवेज मूलत: अनुकूल होंगे। कृपया ध्यागन दें कि इस रूचि की अभिव्यतक्ति द्वारा दि.वि.प्रा. की ओर से कार्य सौंपने अथवा दस्तारवेजों की लागत वहन करने की कोई वचनबद्धता नहीं दी जा रही है।

(iii) एजेंसी की कार्य करने की वैधता 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी और उसे बढ़ाया जा सकता है।

(iv) चयनित एजेंसियों को परियोजना के सुचारू कार्यान्वायन के लिए व्यागपक कार्य करने और योजना के प्ररूपण हेतु परियोजनाओं की स्की मों आदि की जानकारी के संबंध में दि.वि.प्रा. के संबंधित विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।

(v) आवेदक, जिनके पास बहुविषयक क्षेत्रों , तकनीकी का उपयोग एवं जी.आई.एस. आधारित सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अनुभव है, को वरीयता दी जाएगी।

3. <u>अर्हता मानदण्डत</u>

(i) आवेदक/फर्म के अग्रणी सदस्यक को इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्ला.नर ऑफ इण्डिया में पंजीकृत होना चाहिए अथवा फर्म इण्डिया कंपनी एक्टस और/अथवा किसी सरकारी , अर्धसरकारी, स्वा यत्त और/अथवा योजना क्षेत्र में नियमित निकाय के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।

(ii) आवेदन/फर्म 31 मार्च 2018 को कम से कम पाँच वित्तीयय वर्षों तक भारत में प्रचालन में होना चाहिए।

(iii) रूचि की अभिव्यिक्त में मानव शक्ति और उपलबध आधारिक संरचना संबंधी विवरण आवश्यांक रूप से होने चाहिए।

(iv) आवेदक को रा.रा. क्षे. दिल्लीं में प्रचलित मुख्यस योजना , क्षेत्रीय योजना , नियमों, विनियमों, उपविधियों और विभिन्नि अधिनियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

(v) आवेदक को संलग्नव प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रारंभिक योग्याता हेतु समर्थन दस्तारवेज प्रस्तुरत करने चाहिए।

(vi) बोली सभी योग्यगता मानदण्डों् के अनुरूप होनी चाहिए , कोई बोली जो मानदण्डोंस के अनुरूप नहीं है उसे अस्वी कार कर दिया जाएगा।

(vii) दि.वि.प्रा. क्रीडेंशियल/दावों के वास्ततविक सत्यालपन हेतु फर्म संस्थाेपना का दौरा कर सकता है।

(viii) आवेदक/फर्म को केन्द्रा/राज्यय सरकार विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में दर्ज/बहिष्कृत नहीं होना चाहिए।

4. <u>सामान्यी शर्तें</u>

(i) अपर्याप्तद सूचना प्रस्तुृत करने और उपर्युक्तन शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर आवेदन-पत्र अस्वीरकार कर दिए जाएँगे।

(ii) दि.वि.प्रा. को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी रूचि की अभिव्यहक्तियों को स्वीाकार अथवा अस्वीवकार करने का अधिकार है और ऐसा निर्णय लेने पर बाद में उसका कोई दायित्वा चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा।

(iii) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से प्रस्ताावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

(iv) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय दस्ता वोंजों से जुड़ी चयन प्रक्रिया को रोक सकता है।

(v) दि.वि.प्रा. किसी बोलीदाता को संविदा/संविदाएँ देने के लिए अनिश्चितकाल के लिए अथवा निश्चित समयावधि के लिए अपात्र घोषित कर देगा, यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि बोलीदाता ने इसमें भाग लेने में अथवा परामर्शी संविदा को निष्पायदित करने में भ्रष्टब कपटपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाई है।

(vi) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से पैनल को तीन वर्ष की समाप्ति से पहले जारी/समाप्तव कर सकता है।

(vii) यदि बहुत अधिक आवेदन-पत्र प्राप्तअ होते हैं, तो दि.वि.प्रा. को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित मानदंण्डद/टर्नओवर आदि के आधार पर एजेंसियों को स्वीधकार/अस्वींकार करने/चुनने का अधिकारी है।

5. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुनतिकरण</u>:

(i) प्रस्ताव दिनांक 25.2.2019 को 3.00 बजे तक आयुक्ति (योजना) , 5 वीं मंजिल , दि.वि.प्रा., विकास मीनार, नई दिल्लीय-110002 के कार्यालय में हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जमा किया जाना चाहिए।

(ii) प्रस्तातव केवल संलग्ना फॉर्मेट के अनुसार ही प्रस्तुवत किया जाना चाहिए।

(iii) रूचि की अभिव्याक्ति (ई.ओ.आई.) पर किसी भी प्रकार का स्प ष्टीाकरण लिखित रूप में अथवा सीधे आयुक्तर (योजना) कार्यालय, 5 वाँ तल, दि.वि.प्रा., विकास मीनार, दूरभाष सं. 011-23379416, ई-मेल आई.डी. से प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) प्राप्ति की नियत तिथि के पश्चानत् प्रस्तु,त किये गये प्रस्ता्व को अस्वीाकार कर दिया जाएगा/उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) मुहरबंद लिफाफे के बाहरी तरफ सूचना ''नगर योजनाकार/नगर योजना एजेंसियों/फर्म को पैनलबद्ध करने हेतु प्रस्ताकंव स्पनष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

6. <u>चयन:</u>

(i) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त और चुने गए आवेदकों/फर्मों का दि.वि.प्रा. के योजना विभाग में तीन (03) वर्ष के लिए पैनल बनाया जाएगा।

--x-- --x--

दिल्लीम विकास प्राधिकरण

विषय: रूचि की अभिव्याक्ति हेतु प्ररूप

1. नाम एवं पूरा पता:

2. पंजीकरण विवरण:

3. आधारिक संरचना एवं कर्मचारियों
   सहित प्रबंधन संरचना:

4. तकनीकी क्षमता:

5. पिछले तीन वर्ष का टर्न-ओवर:

6. वर्तमान कार्य-संचालन क्षेत्र:

7. किसी भी सरकार का अनुमोदन/पंजीकरण:

8. वह कार्य क्षेत्र, जिसमें विशेषज्ञता हो,
   कृपया विस्ताार से बताएँ:

9. प्रस्तायवित कार्य हेतु रोल पर उपलबध
   नियमित कर्मचारी, उनकी अर्हता और अनुभव सहित:

10. विषय-क्षेत्र में कोई अन्यन प्रत्यतय-पत्र (क्रीडेंशियल):

11. पदनाम सहित व्यषक्ति से संपर्क संबंधी विवरण:
    क. दूरभाष नं.
    ख. मोबाइल नं.
    ग. फैक्सल नं.
    घ. ई-मेल पता